

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्य आदेश दिनांक : 22.03.2020 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, राजकीय/ गैर राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं समस्त संस्थानों को तत्काल प्रभाव से दिनांक : 31.03.2020 तक शासकीय निर्देशानुरूप लॉकडाउन के तहत पूर्णतः बन्द रखे जान के निर्देश प्रदान किए गए थे। भारत सरकार के आदेश क्रमांक : 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक : 24.03.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक : 26.03.2020 के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों, राजकीय/ गैर राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं समस्त संस्थानों में लॉकडाउन हेतु निर्धारित समयावधि में एतद् द्वारा दिनांक : 14.04.2020 तक वृद्धि की जाती है।

शेष निर्देश पूर्व प्रसारित समसंख्यक आदेश दिनांक : 22.03.2020 व समय - समय पर जारी शासकीय निर्देशानुरूप प्रभावी रहेंगे।


(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक : 31.03.2020

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/विविध/4418/68/278

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्., उदयपुर।
9. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), अजमेर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा/पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक/प्रारम्भिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
15. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
16. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
17. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
18. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
19. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
20. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, निदेशालय-माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
21. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
22. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
23. रक्षित पत्रावली।